ग्राम पंचायत, देवठी मझगाँव, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014से 31.03.2017

भाग-I

1 (क) प्रस्तावना:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, देवठी मझगाँव, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री ओम प्रकाश	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्रीमती सीमा देवी	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री इन्दर सिंह	01.04.2014 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, देवठी मझगाँव के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5(i)	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.22
2	**6**	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	**0.93**
3	**7**	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	11.98
4	**8**	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना सामग्री का क्रय	6.48
5	10	जे.सी.बी चार्जिज का अनियमित भुगतान	3.54

6	11(ii)	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय/भुगतान करना	2.06
7	13(i)	बिना बिल/वाउचर अनियमित व्यय	3.30
8	13(iii)	बिना बिल/वाउचर के भुगतान	0.60
9	14	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	0.50

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **20.02.18, 22.02.18 से 24.02.18, 03.03.18 एवम् 05.03.2018** को ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है:-

वर्ष	**आय माह**	**व्यय माह**
2014-15	04/2014	12/2014
2015-16	09/2015	06/2015
2016-17	06/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/राजगढ़/2017-18-22 दिनांक **05.03.2018** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

परिशिष्ट-1

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	------	14693.00	14693.00	8308.00	6385.00
2015-16	6385.00	7609.00	13994.00	7791.18	6202.82
2016-17	6202.82	34499.80	40702.62	30767.25	9935.37

नोट:- सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि के बैंक खाते में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारम्भिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर रखे जाने का प्रावधान है| अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय हेतु पृथक से खाता खोला जाना सुनिश्चित किया जाए |

ii). अनुदान:- ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2A}** मे भी दिया गया है ।

{परिशिष्ट-2}

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	1930691.36	4126075.00	6056766.36	5394892.00	661874.36
2015-16	661874.36	2491105.00	3152979.36	2470155.00	682824.36
2016-17	682824.36	3893237.00	4576061.36	3378442.75	1197618.61

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना:-

(i) रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.22 लाख का अन्तर:-

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹22,325** का अन्तर पाया गया, जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का नियमानुसार बैंक खातों के साथ मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्वः स्त्रोत	9935.37	1
2.	अनुदान	1197618.61	2
3.	कुल शेष राशि	1207553.98	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा व हस्तगत राशि	1185228.98	4
5.	अन्तर	**22325.00**	**5**

विभिन्न बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान का नाम	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
सामान्य निधि	HPSCB, Rajgarh	56310100009	992944.73
BRGF	------do------	56310114019	31560.75
PMAGY	SBI, Rajgarh	33268811341	25934.50
IAY	HPSCB, Rajgarh	56310100169	104754.00
RAY	------do------	56310100109	29997.00
	बी.आर.जी.ऍफ़. की रोकड़ बही के अनुसार हस्तगत शेष		**38.00**
	31.03.2017 को पंचायत के खातों में कुल शेष राशि		**1185228.98**

(ii). रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अनुसार पंचायत द्वारा **रोकड़ बहियों** तथा **खाताबहियों** का संधारण नहीं किया जा रहा है। इसमें न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती | ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें भी विशवसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही एवं खाता बहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

6 पंचायत राजस्व ₹0.93 लाख वसूली हेतु शेष:-

(i) गृहकर ₹0.71 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-6** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को निम्नतालिकानुसार गृहकर की **₹70,770** वसूली योग्य शेष थी, जिसकी शीघ्र-अतिशीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	शेष राशि
2013-14	590	30/-	17700/-
2014-15	580	30/-	17400/-
2015-16	592	30/-	17760/-
2016-17	597	30/-	17910/-
गृहकर की वसूली योग्य राशि			**70770/-**

(ii) मोबाइल टावर शुल्क की ₹0.22 लाख वसूली हेतु शेष :-

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-6** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 को निम्नतालिकानुसार **पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित BSNL कम्पनी** के टावर की स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क के रूप में **₹21,500** वसूली योग्य शेष बनती थी जिसकी शीघ्र वसूली उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए |

Year/period	BSNL	Remarks
2007-08	4000/-	Installation Fees @ 4000/-
2010 to 2014	10000/-	Renewal Fees @2000/- per yr
2015 to 2017	7500/-	Renewal Fees @2500/- per yr
Total	**21500/-**	

इसके अतिरिक्त सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आय की वसूली से सम्बन्धित **“मांग एंवम वसूली पंजी**" का संधारण नहीं किया गया था जिसके सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए|

7 अनुदान राशि ₹11.98 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹11,97,618** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये|

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹6.48 लाख की सामग्री का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3) (4) (5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है, जिनके अनुसार ₹**1000** से ₹**50,000** तक क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** तथा ₹**50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदाएं आमंत्रित (Tenders**) किए जाने का प्रावधान है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके | परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अनुपालना किए बिना ही **परिशिष्ट-7** अनुसार ₹647539 के स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया, जोकि अनियमित है | अतः नियमों की पालना किये बिना की गई खरीद/व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय को नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है| परन्तु ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-7** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु ₹647539 की क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई थी, अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए क्रय की गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार करना भी सुनिश्चित किया जाए|

10 जे.सी.बी चार्जिज का ₹3.54 लाख का अनियमित भुगतान:-

(i). अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹354400** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 63 (5) में विहित नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है, इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए व सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से उक्त व्यय को नियमित करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

जे.सी.बी चार्जीस के अनियमित भुगतान का विवरण

नं	फर्म का नाम	बिल व् दिनांक 14th FC	घन्टे	दर	कुल भुगतान
1	अमन ठाकुर राजगढ़	67/ 07.03.17	144	800/-	115200/-
2	------do------	60/ 15.03.17	61	800/-	48800/-
3	नरेश कुमार, श्नाई	03/ 20.02.17	88	800/-	70400/-
4	------do------	04/ 03.03.17	75	800/-	60000/-
5	------do------	05/ 13.03.17	50	800/-	40000/-
6	------do------	08/ 26.03.17	25	800/-	20000/-
		कुल	**443**	**800/-**	**354400/-**

(ii). इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच

हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

(iii). उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकेदारों को जे.सी.बी चार्जिज का भुगतान करते समय नियमानुसार कोई भी संवैधानिक कटौतीयां जैसे आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि की कटौती भी नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

11 **निर्माण कार्यों से सम्बन्धित** अनियमितताऐं **बारे:-**

(i). निर्माण कार्यो पर खर्च ₹43.02 लाख के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान संलग्न **{परिशिष्ट-8}** पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों के तकनीकी मुल्यांकन से सम्बन्धित प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/सूचना अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी | यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/राशि का आहरण कार्यों के मूल्यांकन के बिना ही हुआ है तो वह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है | अतः उपरोक्त बारे यह स्पष्ट किया जाए कि सूची में दर्शाए गए अमुल्यंकित कार्यो में से कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है, कौन से कार्य प्रगति पर है, कौन से कार्य कितने समय से अधूरे/बन्द पड़े है तथा उन पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए|

अनुदान	**भुगतान**	**विवरण**
सामान्य निधि	24,04,655/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-37 पर
BRGF	489948/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-43 पर
PMAGY	716243/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-50 पर
MGNREGA	---------	**विकास कार्य सूचि प्रस्तुत नहीं की**
14th FC	691206/-	परिशिष्ट-8 पृष्ठ-40 पर
Total:-	**43,02,052/-**	

(ii). प्राप्त अनुदान से ₹2.06 लाख का अधिक भुगतान;-

अंकेक्षण के दौरान अभिलेख की जाँच में पाया गया कि प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत निम्नतालिका में दर्शाए गए हैण्ड पम्प के निर्माण कार्य पर प्राप्त अनुदान से ₹2,06,000 का अधिक व्यय भुगतान किया पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, तथा प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि फंडिंग एजेंसी से प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

कार्य का नाम	दिनांक	प्राप्त अनुदान	दिनांक	खर्च राशि	प्राप्त अनुदान अधिक व्यय
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6){5-3}**
हैण्ड पम्प देवठी-2	03.03.14	120000/-	21.01.14	50000/-	------
	24.11.14	150000/-	24.12.14	180000/-	------
	------	------	29.01.15	52500/-	------
कुल		**270000/-**	**------**	**282500/-**	**12500/-**
हैण्ड पम्प GSSS, देवठी	03.03.14	52000/-	20.11.14	63000/-	------
	------	------	24.12.14	52500/-	------
कुल		**52000/-**	**------**	**115500/-**	**63500/-**
हैण्ड पम्प शरेवत	03.03.14	60000/-	24.11.14	150000/-	------
	कुल	**60000/-**	**------**	**150000/-**	**90000/-**
हैण्ड पम्प कुफ्फर	03.03.14	60000/-	24.11.14	150000/-	------
	24.11.14	70000/-	------	------	------
कुल		**130000/-**	**------**	**150000/-**	**20000/-**
हैण्ड पम्प केंची	03.03.14	60000/-	24.11.14	150000/-	------
	24.11.14	70000/-	------	------	------
कुल		**130000/-**	**------**	**150000/-**	**20000/-**
प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय		**642000/-**		**848000/-**	**206000/-**

12 मनरेगा योजना से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i). रोकड़ बही में दर्ज राशि से ₹3.75 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 में मनरेगा योजना के अंतर्गत **Online Financial Statements** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो हेतु किये गए भुगतान की राशि रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशि से ₹**3,74,660** अधिक थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है | अतः उक्त **Online** भुगतान तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशी में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये, यदि अन्तर की राशि

अधिक भुगतान है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये|

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल online व्यय (₹)	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
(1)	(2)	(3)	(4) [3-2]
2014-15	10,74,234/-	14,48,894/-	**3,74,660/-**

(ii). मनरेगा रोकड़ बही का रख रखाव न करना:-

वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गई राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान निम्नतालिकानुसार **₹.22,34,970** का **Online** व्यय भुगतान किया गया था| उक्त प्राप्ति व् भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो इन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ इसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी | अतः उपरोक्त आय/व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

वितीय वर्ष	मजदूरी का भुगतान	सामग्री पर व्यय	कुल भुगतान
2015-16	369360/-	297910/-	667270/-
2016-17	1310700/-	257000/-	1567700/-
कुल योग	**1680060/-**	**554910/-**	**2234970/-**
ऑनलाइन व्यय भुगतान जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाया गया			**2234970/-**

13 विभिन्न व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i). बिना बिल/वाउचर के ₹3.30 लाख का अनियमित भुगतान:-

चयनित माह में व्यय के अंकेक्षण के दौरान **₹3,29,777** के भुगतान से सम्बन्धित व्यय /वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण **परिशिष्ट-9** पर दिया गया है | अतः इस इस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए व किये गए भुगतान को अपेक्षित अभिलेख सहित नियमित ठहराया जाए अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii). ₹0.15 लाख के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करना:-

. **(क)** सामान्य निधि खाते से दिनांक 07.11.16 को चेक संख्यां 510492 द्वारा **₹120000** का आहरण करके ₹**105200** का ही व्यय भुगतान दर्शाया गया था, जबकि शेष ₹**14800{120000-105200}** का कोई भी ब्यौरा/बिल/वाउचर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा वास्तविक देय राशि से अधिक आहरित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए|

(ख) प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत **निर्माण हैण्ड पम्प देवठी-2** में कृष्णा बोरवेल को उनके बिल संख्या 94 **₹232500** का भुगतान करने हेतु दिनांक 24.12.2014 को चेक संख्या 299833 द्वारा रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 19 पर **₹235000** का आहरण किया गया, जोकि वास्तविक देय राशि से ₹**2500** अधिक था, जिससे सम्बन्धित कोई भी बिल/रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई | अतः राशि के अधिक आहरण बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की सम्बन्धित से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए|

(iii).बिना बिल के ₹0.60 लाख का भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विक्रेता से उचित टैक्स इनवॉइस/बिल पर सामग्री की खरीद न करके उनके द्वारा जारी GR नोट को पारित करके ₹59500 का व्यय भुगतान/आहरण किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है| अतः विक्रेता से उक्त भुगतान से सम्बन्धित उचित **proper Tax Invoice/Bill** या भुगतान प्राप्ति से सम्बन्धित उचित रसीद नियमानुसार प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए क्योकि **Goods Receipts Note {GR}** पर दर्शायी गई खरीद अनियमित व् संदिग्ध प्रतीत होती है|

तिथि	**GR No.**	**विक्रेता का नाम**	**क्रय की गई सामग्री**	**राशि**
		PMAGY		
05.06.15	472	Ramesh Forwarding	200 ft. sand	16000/-
05.06.15	473	------do------	184 ft. agg.	16500/-
05.06.15	474	------do------	200 ft. sand	16000/-
05.06.15	475	------do------	123 ft. agg.	11000/-
			GR Note पर किया गया भुगतान	**59500/-**

14 अग्रिम ₹0.50 लाख का समायोजन न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत की पूर्व प्रधान श्री सतपाल पुत्र श्री हरी दास को प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत नवयुवक मण्डल काटू के निर्माण हेतु चेक संख्या: 299832 द्वारा दिनांक 20.12.2014 को **₹50,000** अग्रिम के रूप में दी गई थी, जिसका समायोजन सम्बन्धित पूर्व प्रधान द्वारा अंकेक्षण अवधि तक नहीं करवाया गया था, अतः उक्त से यह प्रतीत होता है की आहरणकर्ता द्वारा सरकारी धनराशि को बिना किसी प्रयोजन के आहरित करके उसका दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है, जिस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अग्रिम राशि की शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

15 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

16 **रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित** अनियमितताओं **बारे:-**

(क) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया था जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका | अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए|

(ख) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण

पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है । अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही रसीद बुकों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

17 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

(i). अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त राशि {अनुदान/आय} से सम्बन्धित रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अवधि में पंचायत को प्राप्त हुई आय/अनुदान से सम्बन्धित पंचायत द्वारा जारी रसीदें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शायी गई प्राप्ति सही थी अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| इसके अतिरिक्त नकद में प्राप्त राशि को भी पुर्णतः रोकड़ दर्ज किया गया था अथवा नहीं इस बारे भी जाँच नहीं की जा सकी| अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए, साथ ही उक्त अभिलेख की पूर्णतः जाँच कर उसका सम्बन्धित अभिलेख के साथ मिलान कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(ii). विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है| अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये|

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर

11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर

12. इन्वेंटरी रजिस्टर

18 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये |

19 लघु आपत्ति विवरणिकाः-यह अलग से जारी नहीं की गई लघु आपतियों का निपटारा मौके पर कर दिया गया था।

20 निष्कर्षः- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है |

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)30/2018 खण्ड–1–5358–5361 दिनांक–08.08. 2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत देवठी मझगाँव, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881